कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर (राज

प्रमाण – पत्र

प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर की क्रमोन्नति/मान्यता की निम्नलिखित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक नियम 1993 के परिशिष्ट –1 में आवेदन पत्र, परिशिष्ट –2 में यथा निर्दिष्ट तथा शर्तों की पूर्ति एवं उस बात के समर्थन में इस आशय का शपथ पत्र सरकार/आयुक्त प्रारम्भिक /माध्यमिक शिक्षा द्वारा समय – समय पर जारी जाने वाले आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों का तत्परता से पालन करने एवं समय - पर मांगी जाने वाली अन्य सूचनायें देने बावत् निर्धारित प्रारूप में अण्डरटेकिंग करते हुये मान्यता शुल्क एवं आरक्षित कोष की निर्धारित राशि जमा करा दी है।

अत निम्नांकित संस्थाओं को सत्र 2009 –2010 में कक्षा 6 संचालन की प्रदान करते हुये क्रमशः आगामी सत्रों में कक्षा 07 एवं कक्षा 08 की मान्यता मानी जावेगी।

क्र. सं.	नाम विद्यालय	माध्यम	स्तर
1.	जसवन्त पब्लिक स्कूल , नगर	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
2.	अंजली आदर्श विद्या मंदिर उप्रावि पाली नगर	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
3.	श्री कृष्ण विद्या मंदिर मालकी नगर	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
4.	देवराज भारती शिक्षा समिति,खखावली नगर	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
5.	जिया उच्च प्राथमिक पब्लिक स्कूल गुलपाडा, नगर	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
6.	आलोकलाल एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी पाली नगर	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
7.	ऊर्जा पब्लिक शिक्षण संस्थान, नगर	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
8.	इण्डियन पब्लिक स्कूल, इन्द्रोली कामां	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
9.	एस.एम.एस. शिक्षा समिति कठौल कामां	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
10.	ज्ञानेन्द्र पब्लिक स्कूल [illegible]जरवाडी कामां	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
11.	एस पब्लिक स्कूल जनूथर ,डीग	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
12.	संस्कार कॉन्वेंट शिक्षा समिति ,कठेरा डीग	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
13.	रुक्मणी देवी उप्रा शिक्षण समिति, खेडा ब्राहमण, डीग	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
14.	अजय आदर्श उप्रा विद्या मंदिर जनूथर डीग	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
15.	श्री गणेश राज आदर्श पब्लिक स्कूल खोह, डीग	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
16.	सरस्वती बालिका उप्रा विद्या मंदिर जनूथर, डीग	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
17.	जे.पी.शास्त्री शिक्षण संस्थान कौरेर , डीग	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
18.	शशि मॉडर्न उप्रावि , सूसौता, कुम्हेर	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
19.	भारत शिक्षा समिति , गुरु की मंडी कुम्हेर	अंग्रेजी	उच्च प्राथमिक
20.	श्रीमती शीलादेवी शिक्षण संस्थान, उप्रावि गुनसारा , कुम्हेर	हिन्दी	उच्च प्राथमिक
21.	एस.आर.एस. पब्लिक स्कूल अघैया रोड, कुम्हेर	हिन्दी	उच्च प्राथमिक

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो में यदि निरीक्षण /सत्यापन मे असत्यता पाई जाती है तो संस्था की मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकेगी। पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्था का होगा।

जिला शिक्षा अ
प्रारम्भिक शिक्षा

क्रमांक : जिशिअ/प्रारं/भरत/सामा./मान्यता/09/ 379 दिनाँक 31.1..

सचिव
श्री रतनसिंह (शिक्षा) प्र.शिक्षण संस्थान कुम्हेर भरतपुर (राज0)

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. श्रीमान आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान – बीकानेर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा भरतपुर संभाग, भरतपुर।
3. श्रीमान प्राचार्य डाईट, भरतपुर
4. श्रीमान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,..................................
5. श्रीमान संयोजक समान परीक्षा , भरतपुर।
6. शैक्षिक प्रकोष्ठ/सांख्यिकी शाखा स्थानीय कार्यालय ।
7. संबंधित संस्था ....
8. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अ

विद्यालय - S R S PUBLIC SCHOOL (P64649) आवेदन क्रमांक : 41396

मान्यता कोड : RJBPR32620

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) प्रारम्भिक BHARATPUR , राजस्थान

क्रमांक: 2581 दिनांक 18/11/22

सचिव

प्रबंध समिति

S R S PUBLIC SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र|

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 41396 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, S R S PUBLIC SCHOOL पता ????? ??? ??????? ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NAGAR PALIKA Kumher ब्लॉक KUMHER को शैक्षिक सत्र से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

माध्यम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का माध्यम	Hindi
वांछित नवीन माध्यम	English

18/11/2

सचिव
श्री रतनसिंह शिक्षण एवं प्र.शिक्षण संस्थान
कुम्हेर भरतपुर (राज0)

Scanned with CamScanner

नाम - S R S PUBLIC SCHOOL (P64649)

मान्यता कोड : RJBPR32620

आवेदन क्रमांक : 41396

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) प्रारम्भिक BHARATPUR , राजस्थान

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस – पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा ।

   विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

(I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;

(II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;

(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

(IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा– अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;

(V) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;

(VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए

(VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं

(VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा ।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी|
14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय– समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

सचिव
श्री रतनसिंह शिक्षण एवं
प्र.शिक्षण संस्थान
कुम्हेर भरतपुर (राज0)

शर्तः-संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि लगाये गये आक्षेपों/कमियों की शीघ्र पूर्ति करें ।

Scanned with CamScanner

ालये - S R S PUBLIC SCHOOL (P64649) आवेदन क्रमांक : 41396

मान्यता कोड : RJBPR32620

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) प्रारम्भिक BHARATPUR , राजस्थान

18/11/22

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रारम्भिक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रारम्भिक

सचिव
श्री रतनसिंह शिक्षण एवं
प्रशिक्षण संस्थान
कुम्हेर भरतपुर (राज०)

Scanned with CamScanner